न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 82 आर 15/06–07

मालती कर्मकार — अपीलकर्ता

बनाम

अजय तिर्की वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

19/
20.10.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 19/2000–01 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 21.11.2005 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
पण्डरा	87	1046	1 कट्ठा 12 छटॉक

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में मादी उरॉव के नाम बकास्त भूँइहरी दर्ज है। मादी के पुत्र कोल्हा उरॉव ने इस जमीन को छपरबंदी में परिवर्तित किया एवं दिनांक 25.12.1946 को गुही राम कर्मकार को बंदोबस्त कर दिया। उसने लगान रसीद भी निर्गत किया। गुहीराम ने विवादित जमीन पर मकान का निर्माण किया। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि निम्न न्यायालय का एस ए आर वाद कालबाधित था क्योंकि यह बंदोबस्ती के 55 बर्षों के बाद दायर किया गया। भूँइहरी जमीन की वापसी का प्रावधान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 की उपधारा 4 में है एवं इसकी समय सीमा 12 बर्ष निर्धारित है। निम्न न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया और जमीन वापसी का आदेश पारित कर दिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही वर्णन किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने विवादित जमीन पर अपीलकर्ता के दखल को स्वीकार किया।

प्रस्तुत वाद से सम्बन्धित सभी कागजातों को देखने से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने एक सादे दस्तावेज के आधार पर अपना दावा आदिवासी भूमि पर किया है।

उनका कहना है कि 1946 में ही आदिवासी खतियानी रैयत ने गुहीराम कर्मकार को बंदोबस्त कर दिया।

बहस के दौरान बताया गया कि तकरारी भूमि पर अपीलकर्ता ने मकान बनाया है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई सबूत नहीं किया गया है। भवन का न तो कोई नक्शा दिया गया है और न ही नगर निगम में होल्डिंग कायम होने का कोई प्रमाण। विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित भी कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का मकान 1969 के पुर्व का नहीं है।

जोधा उरॉव और भीमा उरॉव ने निम्न न्यायालय में 18.4.2000 को भू–वापसी का मुकदमा दायर करते हुए लिखा है कि भूमि का अंतरण 30 बर्ष पुर्व हुआ था। इससे स्पष्ट है कि 1970 में अपीलकर्ता ने गलत ढंग से भूमि को हड़प लिया और अब 1946 का सादा कागज बनाकर उसे विनियमित कराना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का आदेश यथावत रहेगा। अंचल अधिकारी, शहर को दखल देहानी हेतु भेजें।

दिनांक :– 20.10.2008 लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।